अध्याय -8

भारत की प्राकृतिक वनस्पति
(Natural Vegetation of Bharat)

भारत एक विशाल देश है, जिससे यहाँ तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल की प्रकृति, पवनों व सूर्य-प्रकाश के प्रारूप में भिन्नता पायी जाती है। इसलिये देश में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का पाया जाना स्वाभाविक है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं-

1. सदाबहार वन - ये वन देश के उन भागों में मिलते हैं, जहाँ औसत वर्षा 200 से.मी. से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24° से. के लगभग रहता है। इनके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं- (1) पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, (2) अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह एवं (3) उत्तरी-पूर्वी भारत में बंगाल, असम, मेघालय और तराई प्रदेश। इस प्रकार के वनों में मुख्य रूप से रबर, महोगनी, एबोनी, लौह-काष्ठ, जंगली आम, ताड़ आदि वृक्ष व बांस तथा कई प्रकार की लताएँ पायी जाती हैं। इनमें वृक्ष घने, विविध तथा अधिक ऊँचाई वाले होते हैं। इन वृक्षों की ऊँचाई 30 से 45 मीटर तक होती है। वृक्षों के ऊपरी सिरे छतरी-नुमा होते हैं। वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होती है कि धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता।

इन वृक्षों का शोषण कम होता है, क्योंकि - (1) इनकी लकड़ी कठोर होती है, (2) एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाये जाते हैं, (3) वृक्षों, लताओं व छोटे-छोटे पौधों की सघनता होती है, जिससे वृक्षों को काटने में असुविधा होती है तथा (4) परिवहन के साधनों की कमी है। इसलिये आर्थिक दृष्टि से इनका उपयोग अधिक नहीं हुआ है।

2. पतझड़ी या मानसूनी वन - पतझड़ी वन वे होते है जो शुष्क काल में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये उन भागों में पाए जाते हैं, जहाँ 100 से.मी. से 200 से.मी. तक वर्षा होती है। इनके चार मुख्य क्षेत्र हैं- (1) उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग, (2) विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार व असम की पहाड़ियाँ, (3) पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग एवं (4) पश्चिमी घाट का प्रतिपवन पूर्वी क्षेत्र। ये वन न अधिक घने और न अधिक ऊँचे होते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष साल, सागवान, नीम, चन्दन, रोज़वुड, एबोनी, आम, शीशम, बाँस आदि हैं। इनकी लकड़ी अधिक कठोर नहीं होती है। ये आसानी से काटे जा सकते हैं। इनकी लकड़ी से रेल के स्लीपर, जलयान तथा फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में यातायात के साधनों के विकसित होने के कारण इनका उपयोग अधिक हो रहा है।

3. शुष्क वन - ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा का औसत 50 से.मी. से 100 से.मी. तक होता है। इस प्रकार के वन मुख्यत: दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान व दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष बरगद, कीकर, बबूल, नीम, आम, महुआ, करील, खेजड़ा आदि हैं। इन वृक्षों की जड़ें लम्बी होती हैं। वर्षा के अभाव में वृक्ष कम ऊँचे होते हैं। वृक्षों की ऊँचाई 6से 9 मीटर तक होती है। इन वनों का केवल स्थानीय महत्त्व है।

4. मरूस्थलीय वन - ये वन 50 से.मी. से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्षों में पत्तियाँ कम, छोटी तथा काँटेदार होती हैं। वृक्षों की जड़ें लम्बी व मोटी होती हैं। बबूल यहाँ बहुतायत से उगते हैं। नागफनी, रामबांस, खेजड़ा, खैर, खजूर आदि अन्य वृक्ष हैं। यह वनस्पति दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में पायी जाती है। इनका केवल स्थानीय महत्त्व है। कृषक इनका उपयोग अपने खेतों में छाया प्रदान करने, इनकी पोषक पत्तियाँ पशुओं को खिलाने, इन पत्तियों से मृदा में वनस्पति अंश (Humus) बढ़ाने एवं मृदा अपरदन को नियन्त्रित करने में लेते हैं।

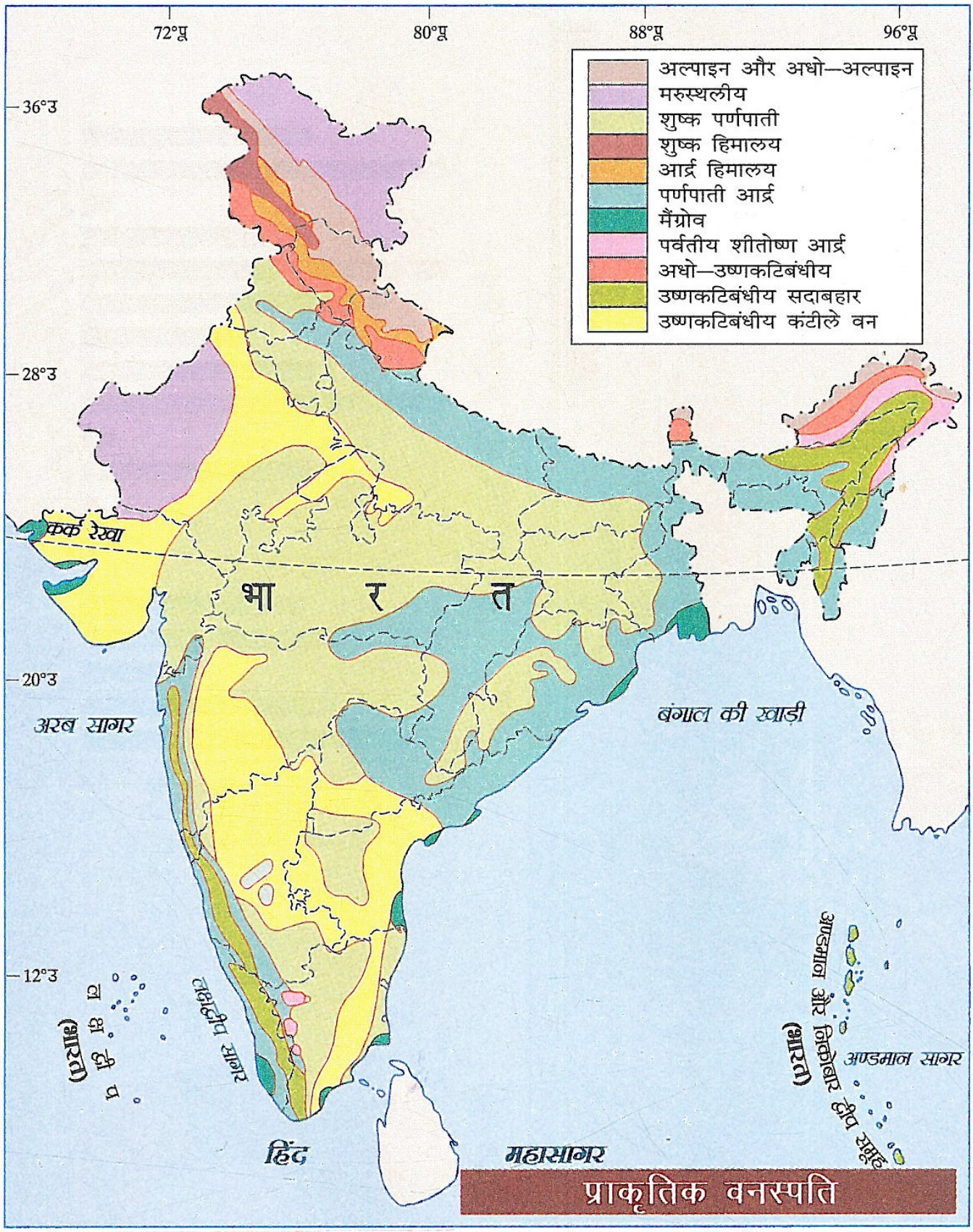

चित्र 8.1 – भारत : प्राकृतिक वनस्पति

5. ज्वारीय वन – ये वन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रायद्वीपीय नदियों के मुहानों पर तथा गंगा–ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं जहाँ ज्वार–भाटे के समय समुद्र का अग्रसित जल वृक्षों की जड़ों को सींचता है। ऐसे प्रदेशों में कीचड़ तथा दलदल होते हैं। इन वनों के सुन्दरी वृक्ष गंगा–ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में तथा मैन्ग्रोव वृक्ष हुगली नदी के डेल्टा में विशेष रूप से पाए जाते हैं। अन्य वृक्ष ताड़, नारियल, हैरोटीरिया, रीज़ोफोरा, सोनेरीटा आदि हैं। इन वृक्षों की लकड़ी मुलायम होती है।

6. पर्वतीय वन – इस प्रकार के वन दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर तथा मध्य प्रदेश के पचमढ़ी आदि ऊँचे भागों में 1500 मीटर की ऊँचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष 15 से 18मीटर ऊँचे होते हैं। वृक्ष मोटे तने वाले होते हैं, जिनके नीचे सघन झाड़ियाँ मिलती हैं। वृक्षों की पत्तियाँ घनी व सदाबहार तथा टहनियों पर लताएँ छाई रहती हैं। अधिक ऊँचे भागों में यूजेनिया, मिचेलिया व रोडेनड्रॉस आदि वृक्ष मिलते हैं। उत्तरी भारत में पश्चिमी हिमालय व असम की पहाड़ियों पर 1800 मीटर से 2800 मीटर ऊँचाई तक ये वन मिलते हैं। इन वृक्षों में चीड़, सनोवर, देवदार, स्प्रूस, बर्च, लार्च, एल्म, मैपल व चैस्टनट प्रमुख हैं।

प्रशासनिक वर्गीकरण

भारत सरकार का वन विभाग वनों की देखरेख करता है। व्यवस्था, नियन्त्रण व सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय वनों को तीन भागों में बांटा गया है–

1. सुरक्षित वन – सर्वाधिक महत्व वाले इन वनों में लकड़ी काटना व पशु चराना वर्जित है। ऐसे वनों का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग कि. मी. है। बाढ़ की रोकथाम, भूमि कटाव से बचाव तथा मरूस्थलों का प्रसार रोकने की दृष्टि से इन वनों का महत्वपूर्ण योगदान है।

2. संरक्षित वन – इन वनों में सरकार से लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही लकड़ी काट सकते हैं तथा पशु चरा सकते हैं। ये वन लगभग 3 लाख वर्ग कि. मी. क्षेत्र में फैले हुए हैं।

3. अवर्गीकृत वन – इन वनों में लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु उपयोग करने वाले को टैक्स देना पड़ता है। लकड़ी काटने के लिये ये वन प्राय: ठेके पर दिये जाते हैं। इन वनों का विस्तार लगभग 2 लाख वर्ग कि. मी. क्षेत्र पर पाया जाता है।

नवीन वर्गीकरण

उपर्युक्त वर्गीकरण के स्थान पर अब प्रशासनिक आधार पर निम्नांकित वर्गीकरण स्वीकृत किया गया है–

1. राजकीय वन (State Forest) – हमारे देश के कुल वनों का लगभग 95 प्रतिशत भाग इस वर्ग में आता है। इनका नियन्त्रण, देखरेख, विकास व सुरक्षा पूर्णत: सरकार के हाथ में है। भारत में निरन्तर घटते हुए वन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश वनों को इस श्रेणी में रखा गया है।

2. सामुदायिक वन (Community Forest) – इस वर्ग के वनों के नियन्त्रण तथा देखरेख, विकास व सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निगम / परिषद / नगर पालिकाओं एवं जिला परिषदों आदि की होती है। इस श्रेणी के अन्तर्गत हमारे देश के लगभग तीन प्रतिशत वन सम्मिलित हैं।

3. व्यक्तिगत वन (Individual Forest) – भारत में वन क्षेत्रों के विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए व्यक्तिगत स्वामित्व वाले क्षेत्रों में वन विस्तार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह श्रेणी बनाई गई है। इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत अधिकार वाले वन सम्मिलित हैं। इस वर्ग में हमारे देश के लगभग दो प्रतिशत वन सम्मिलित हैं।

वन संसाधन

भारत के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों में वन संसाधनों का प्रमुख स्थान है। आर्थिक उन्नति एवं विकास योजनाओं में इनका बड़ा योगदान रहता है। प्राचीनकाल में भारत में वनों का प्रसार अधिक था। कृषि भूमि प्राप्त करने, आवासी भूमि की आवश्यकता के कारण तथा लकड़ी प्राप्त करने हेतु अंधाधुन्ध कटाई से वनों का ह्रास होता गया। इस समय वन भारत की कुल भूमि के 22.02 प्रतिशत (2015 के अनुसार) भाग पर फैले हैं, किन्तु यह क्षेत्रफल भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार 33 प्रतिशत करने की योजना है। वनों में वृद्धि की प्रक्रिया को अधिक उपयोगी बनाने हेतु सरकार ने सामाजिक वानिकी (Social Forestry) योजना चलाई है।

वनों से लाभ

(अ) प्रत्यक्ष लाभ –

1. कृषि उपकरण, फर्नीचर व इमारती उपयोग की लकड़ी प्राप्त होती है।
2. वन क्षेत्रों में पशुओं के लिये चारा उपलब्ध होता है।
3. वनों से ईंधन प्राप्त होता है।

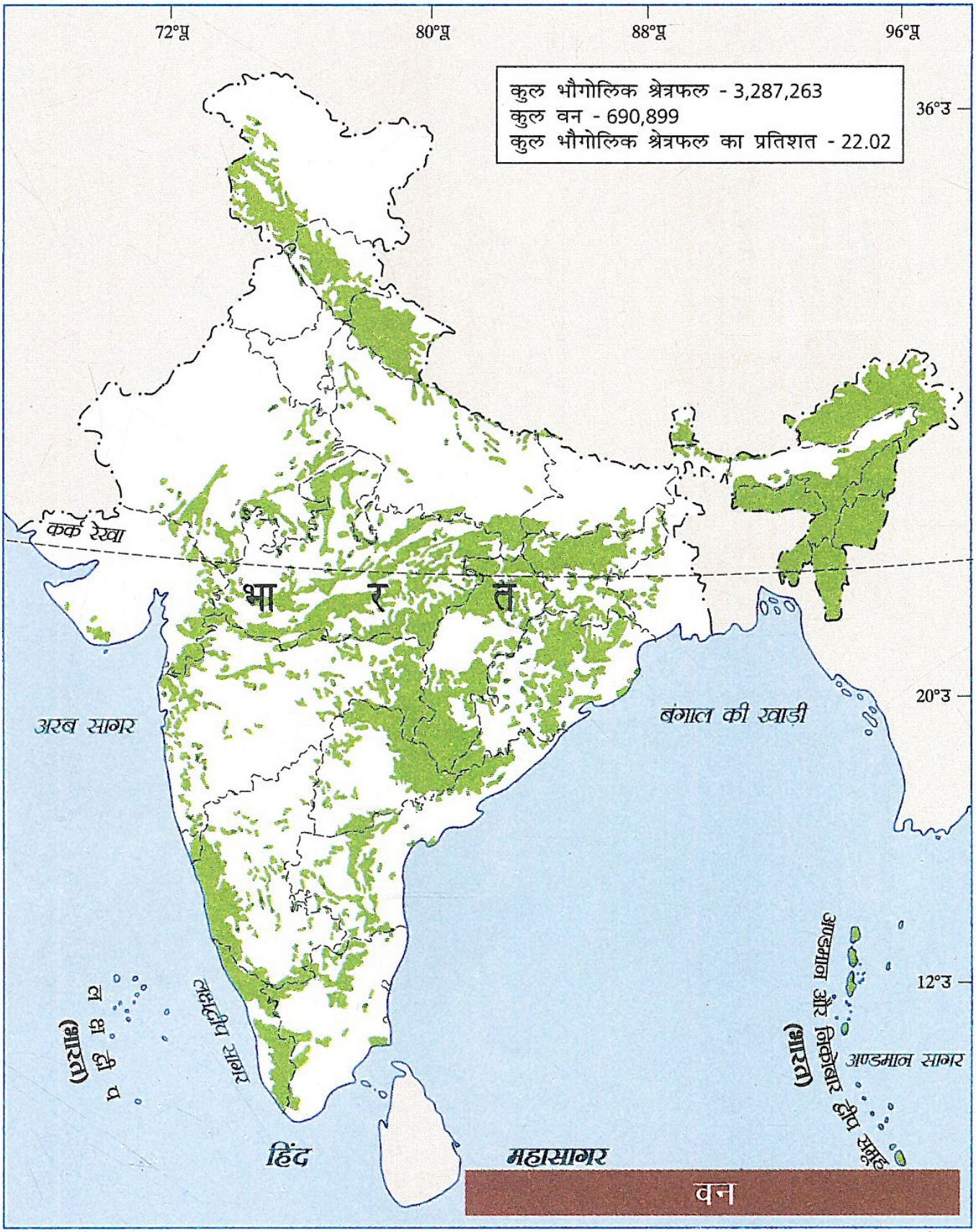

चित्र 8.1 – भारत : वन संसाधन

4. कागज, दियासलाई, खेल के सामान, रबर, रंग आदि उद्योगों के लिये कच्चा माल प्राप्त होता है।
5. वनों द्वारा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दैनिक व्यवसाय मिलता है। लकड़ी काटने, लकड़ी चीरने, गाड़ियाँ ढोने, नाव, रस्सी, वैन आदि तैयार करने तथा गौंद, लाख, राल, कन्द-मूल-फल आदि एकत्रित करने में कई लोग संलग्न हैं।
6. वनों से काष्ठ कोयला मिलता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के अतिरिक्त शक्ति के साधन के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ है।
7. वनों से उपयोगी औषधियाँ बनाने के लिए जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं।
8. वनों में अरण्डी तथा शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पालने से रेशम प्राप्त होता है।
9. वनों से एकत्रित विभिन्न सामग्रियों से सरकार को भी आय होती है।

(ब) अप्रत्यक्ष लाभ-

1. वन जलवायु को सम और नम बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2. बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके अधिक जलवृष्टि कराने में सहायक होते हैं।
3. आँधी और तूफान की प्रचण्डता को कम करते हैं।
4. वनों के कारण बाढ़ का प्रकोप कम हो जाता है।
5. वन भूमि-कटाव तथा मरूस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक होते हैं।
6. पेड़ों की पत्तियों से ह्यूमस (Humus) व जीवांश मिलने के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं।
7. वन क्षेत्र में वर्षा के जल के भूमि में अधिक प्रविष्ट होने के कारण जल-स्तर ऊँचा उठता है।
8. दीर्घकाल में इनके भूमि में दब जाने से कोयले जैसा महत्त्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता हैं।
9. ये वन्य जीवों के संरक्षण-स्थल होते हैं।
10. आखेट आदि की दृष्टि से ये मनोरंजन स्थल होते हैं।
11. वन सौन्दर्य के प्रतीक होते हैं।
12. वनों से जैविक-सन्तुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है।
13. वनों के कारण वायुमण्डलीय प्रदूषण नियन्त्रण में रहता है।
14. वन शोर प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं।
15. वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते **हरित गृह प्रभाव (Green House Effect)** को वन संयत (Moderate) करते हैं।
16. वनों का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। यहाँ वन क्षेत्र तपोभूमि, दार्शनिक चिन्तन तथा ज्ञानार्जन के लिये उपयुक्त माने गये हैं।

आज के युग में औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ वायुमण्डलीय प्रदूषण बढ़ने लगा है। उद्योगों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआँ, सड़कों पर बढ़ते यातायात के साधनों से पैट्रोल व डीज़ल का धुआँ, शहर की गन्दगी आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले मुख्य साधन हैं। इस बढ़ते हुए प्रदूषण को नियन्त्रण में रखने हेतु सारे विश्व में जागरूकता आई है। प्राकृतिक वनस्पति वायुमण्डल में गैसीय सन्तुलन बनाने में योगदान करती है। हमारे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाये जाने के पीछे एक उद्देश्य वायुमण्डलीय प्रदूषण को कम करना भी है। इस अनुपम प्राकृतिक भेंट का संरक्षण करना हम सभी का राष्ट्रीय और सामाजिक धर्म है। कुछ स्वार्थी तत्व तात्कालिक लाभ के लिये इन्हें नष्ट कर रहे हैं। उनके प्रति हमें सावधान रहकर वन सम्पदा का संरक्षण करना चाहिये।

वनों की उपजें

भारतीय वन आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। वनों से प्राप्त होने वाली उपजों को दो भागों में बांटा जाता है- (अ) मुख्य उपजें (ब) गौण उपजें।

(अ) मुख्य उपजें

हिमालय प्रदेश की लकड़ियाँ

1. देवदार- ये सदाबहार नुकीली पत्ती के पेड़ है, जो लगभग 30 मीटर ऊँचे होते हैं। ये 2500 मीटर की ऊंचाई तक कश्मीर, पंजाब की पहाड़ियों तथा गढ़वाल क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इनकी लकड़ी सामान्य कठोर, भूरी-पीली, टिकाऊ तथा मूल्यवान होती है। यह लकड़ी निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होती है, विशेषत: रेल के स्लीपर तथा पुल बनाने के काम आती है। इस लकड़ी से एक प्रकार की सुगन्ध निकलती है। अत: इससे सुगन्धित तेल भी निकाला जाता है। इस जाति के पेड़ का विस्तार लगभग 5000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में है।

2. चीड़- ये नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष हैं, जो 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊँचाई पर कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में पाये जाते हैं। ये वृक्ष 18से 30 मीटर तक ऊँचे होते हैं। चीड़ के वृक्षों के क्षेत्र का विस्तार 8000 वर्ग कि.मी. है। इन वृक्षों की लकड़ी हल्की होने के कारण पानी में आसानी से तैर सकती है। इनका उपयोग पैकिंग की पेटियाँ, नाव तथा सस्ता फर्नीचर बनाने में अधिक होता है। इनसे तारपीन का तेल प्राप्त होता है।

3. श्वेत सनोवर - ये नुकीली पत्ती के सदाबहार वृक्ष हैं जो 2,000 से 3,000 मीटर की ऊँचाई पर पश्चिमी हिमालय प्रदेश में मिलते हैं। ये 50 मीटर तक ऊँचे होते हैं। इनकी लकड़ी सफेद, नरम एवं टिकाऊ होती है।

इनका उपयोग कागज़ की लुग्दी, दियासलाई, हल्के सन्दूक, पैकिंग के तख्ते तथा फर्श के तख्ते बनाने में होता है।

मानसूनी वनों की लकड़ियाँ

1. साल- ये पतझड़ी वृक्ष हैं जो हिमालय के निचले ढालों पर तराई प्रदेश में पाये जाते हैं। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार तथा उड़ीसा में भी ये वृक्ष अधिक मिलते हैं। इनकी लकड़ी कठोर एवं भूरे रंग की होती है। यह लकड़ी टिकाऊ होती है। इस लकड़ी का उपयोग रेल के स्लीपर एवं डिब्बे, पुल और मकान बनाने में किया जाता है। ये वृक्ष एक लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए हैं।

2. सागवान- इसके वृक्ष लगभग 60,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हैं। इसकी लकड़ी मजबूत होती है। यह दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तथा उड़ीसा राज्यों में मिलता हैं। टिकाऊ होने के कारण इसकी लकड़ी जहाज, रेल के डिब्बे तथा फर्नीचर बनाने में उपयोग की जाती है।

3. शीशम- इसकी लकड़ी भूरे रंग की, कठोर एवं ठोस होती है। इसकी लकड़ी का उपयोग मकान, रेल के डिब्बे तथा फर्नीचर बनाने में किया जाता है। यह वृक्ष मुख्यत: उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश के शुष्क भागों में अधिकता से पाया जाता है। कुछ वृक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम तथा पश्चिम बंगाल में भी मिलते हैं।

शुष्क वनों की लकड़ियाँ

1. बबूल (Acacia)- हमारे देश में 20 से भी ज्यादा किस्म के बबूल मिलते हैं। इन वृक्षों की छाल व गौंद बहुत उपयोगी होते हैं। इसकी छाल चमड़ा रंगने के काम में आती है। इससे प्राप्त अच्छी किस्म का गौंद खाने के काम में आता है। अन्य किस्म के गौंद के भी विभिन्न उपयोग हैं। इसकी जड़, छाल व गौंद से कई देशी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं।

2. खैर- इसका वृक्ष 3 से 6मीटर तक लम्बा होता है। यह वृक्ष भी भारत के काफी बड़े क्षेत्र में मिलता है। इसकी लकड़ी कठोर होती है। इसमें दीमक नहीं लगती है। मकानों के खम्भे, तेल निकालने की घाणियाँ, हल व अन्य कृषि-उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस वृक्ष से कत्था व कच भी प्राप्त होता है। कत्थे का पान व कई दवाइयों में उपयोग किया जाता है। कच का उपयोग रंगाई-छपाई आदि में होता है।

(ब) गौण उपजें

1. लाख- लाख के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। **लेसीफर लक्का** नामक कीड़े, पलाश, कुसुम, बरगद, खैर, घोंट, पीपल, गूलर आदि वृक्षों की नरम डालियों का रस चूसकर एक चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं। यही पदार्थ लाख कहलाता है। भारत में लाख उत्पादित करने वाले क्षेत्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बिहार, मेघालय व पश्चिमी बंगाल में हैं। लाख विद्युत निरोधक होता है। इसका उपयोग ग्रामोफोन रिकॉर्ड, पॉलिश, खिलौने, रेडियो तथा टेलीविजन ट्यूब आदि बनाने में होता है। भारत अपने उत्पादन का 90 प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को निर्यात करता है।

2. चमड़ा रंगने के पदार्थ- ये पदार्थ अनेक प्रकार की छालों, पत्तियों तथा फलों से प्राप्त किये जाते हैं। इन पदार्थों को उत्पन्न करने वाले प्रमुख वृक्ष हरड़, बहेड़ा, आँवला, टारवुड, मैंग्रोव, कच, गैम्बियर आदि हैं।

3. गौंद- नीम, पीपल, खेजड़ा, कीकर, बबूल आदि वृक्षों का चिपचिपा रस ही गौंद होता है। इससे खाने और चिपकने वाले गौंद बनाए जाते हैं। देशी औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त गौंद भी वृक्षों से ही प्राप्त होता है।

4. घासें- वनों में अनेक प्रकार की घासें पायी जाती हैं। इनमें ये मुख्य हैं - खसखस घास, रोशा घास, अग्नि घास, मूंज व हाथी घास।

इनके अतिरिक्त वनों से रबर, फल, शहद, मोम, जड़ी-बूटियाँ आदि भी प्राप्त किए जाते हैं। भारत को प्रतिवर्ष गौण उपजों से लगभग 600 करोड़ रूपये की आय होती है।

वन व्यवसाय के पिछड़े होने के कारण

1. भारत में वन क्षेत्र कम हैं। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र केवल 0.2 हैक्टेयर है।
2. वन क्षेत्र का वितरण अत्यधिक असमान है।
3. लकड़ी काटने के ढंग पुराने हैं।
4. एक ही प्रकार के वृक्ष एक ही स्थान पर समूह में नहीं मिलते हैं जिससे वनों का आर्थिक महत्त्व कम है।
5. वन अधिक ऊँचाई पर मिलते हैं, जहाँ कटाई आसान नहीं है।
6. वन क्षेत्रों में परिवहन साधनों की कमी है।
7. वनों के संरक्षण हेतु विभिन्न विभागों में सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। अत: वृक्षारोपण एवं वनों की सुरक्षा का कार्य प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता।
8. वन व्यवस्था व वन उपज के उपयोग सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धानों का अभाव है।

वनों की उन्नति के उपाय

1. वनों की गैर कानूनी व अन्धाधुन्ध कटाई पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिये।

2. प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम वन भूमि निर्धारित की जानी चाहिये।
3. सुरक्षित वनों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये।
4. वन प्रदेशों में परिवहन साधनों का विकास करना चाहिये।
5. वन उद्योग के व्यावसायिक पहलू की और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। इससे सरकार को अधिक आय होगी तथा देश में रोजगार बढ़ेगा।
6. वन अनुसंधान कार्य में तेजी लाई जानी चाहिये।
7. वनों के उपयोग व महत्त्व के विषय में जन चेतना कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये।
8. विभिन्न सरकारी विभागों एवं सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिये।

भारत में वन विकास

भारत में लगभग 79.42 मिलियन हैक्टेयर भूमि में वन हैं, जो देश के केवल 24.16 प्रतिशत (2015 के अनुसार) भाग पर फैले हैं। विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम वन पाए जाते हैं। सन् 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भूमि पर वनों का होना अनिवार्य है। इसमें 60 प्रतिशत वनों का विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों में तथा शेष मैदानी भागों में करना है।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सड़कों व रेलमार्गों के किनारे तथा अन्य स्थानों पर बाढ़ व मरूभूमियों पर नियन्त्रण करने हेतु उगने वाले वृक्ष लगाये जा रहे हैं। वनों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। वन शिक्षा और अनुसन्धान कार्यों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. भारत में वनों का सांस्कृतिक महत्व है; विविध भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाये जाते हैं।
2. वनों के प्रकार - सदाबहार वन, पतझड़ी या मानसूनी वन, शुष्क वन, मरूस्थलीय वन, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन।
3. प्रशासनिक वर्गीकरण - सुरक्षित, संरक्षित व अवर्गीकृत वन; अब वर्गीकरण का नया आधार - राजकीय वन, सामुदायिक वन, व्यक्तिगत वन।
4. वनों से अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ।
5. वनों की उपजें - मुख्य उपजें (देवदार, चीड़, श्वेत सनोवर, साल, सागवान, शीशम, बबूल, खैर, कच, कत्था आदि), गौण उपजें (लाख, चमड़ा रंगने के पदार्थ, गौंद, घासें, महुआ, तुंग, बांस-बैंत, रबड़, फल, शहद, मोम, जड़ी बूटियाँ, आदि)।
6. वनों के पिछड़ेपन के कई कारण, उन्नति एवं वन विकास अति आवश्यक; भारत में वन विकास हेतु अनेक उपाय किये जा रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1. सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते, वह है -
   (अ) जम्मू-कश्मीर (ब) राजस्थान
   (स) मध्य प्रदेश (द) छत्तीसगढ़
2. 50 से.मी. से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन है -
   (अ) शुष्क (ब) मरूस्थलीय
   (स) मानसूनी (द) सदाबहार।
3. पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय है -
   (अ) चीड़, देवदार, लार्च
   (ब) आम, बांस, बबूल
   (स) बबूल, पीपल, चीड़
   (द) नारियल, शीशम, देवदार।

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न -

4. मैन्ग्रोव वृक्ष किन वनों में पाये जाते हैं?
5. सामुदायिक वनों पर किसका नियन्त्रण होता है?
6. भारत सरकार की नीति कितने प्रतिशत भूमि को वनाच्छादित करने की है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न -

7. राजकीय वन किसे कहते हैं?
8. शुष्क वन कहाँ मिलते हैं?
9. मानसूनी वन में कौन-कौनसे वृक्ष मिलते हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न -

10. भारतीय वनों से प्राप्त होने वाली उपजों पर एक लेख लिखिए।
11. भारत में पाये जाने वाले वनों के वितरण प्रारूप पर एक लेख लिखिए।

आंकिक प्रश्न -

12. भारत के रूपरेखा मानचित्र में शुष्क वन क्षेत्रों का विस्तार दर्शाइये।
13. भारत के रूपरेखा मानचित्र में ज्वारीय वन क्षेत्रों का विस्तार दर्शाइये।

उत्तरमाला - 1. अ 2. ब 3. अ